इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 21, शक 1935

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 2-4-2012-बयालीस (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लिपिकवर्गीय एवं संसाधन व्यक्ति तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संविदा आधार पर भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम लागू होना तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लिपिकवर्गीय एवं संसाधन व्यक्ति तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संविदा आधार पर भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, संचालक, कौशल विकास या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी;

(ख) ''संविदा रकम'' से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट संविदा रकम;

(ग) ''संविदा नियुक्ति'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति;

(घ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग;

(ङ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है, संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश;

(च) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती के लिये ली जाने वाली परीक्षा;

(छ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ज) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ञ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन निमयों से संलग्न अनुसूचियां.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—ये नियम मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नियुक्त किये गए लिपिकवर्गीय एवं रिसोर्स पर्सन तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों पर लागू होंगे.

4. **वर्गीकरण तथा संविदा पारिश्रमिक.**—पदों का वर्गीकरण तथा पारिश्रमिक की राशि अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी.

5. **संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी संविदा पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के अधीन उपबंधों के अनुसार की जाएंगी.

(1) संविदा सेवा में पदों की भर्ती लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा की जाएगी.

(2) संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता तथा विविध अर्हताएं अनुसूची-2 के अनुसार होगी.

(3) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) या किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा सरकार/विभाग के मार्गदर्शन के आधार पर पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी. पात्रता परीक्षा की वैधता, परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् 18 माह या अगली पात्रता परीक्षा तक, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, होगी. संविदा नियुक्ति के लिए नियत न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना, आगामी वर्ष की प्रथम जनवरी से जिसमें नियुक्ति की जाना है, की जाएगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों, निःशक्तजन तथा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा चयन के समय प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

(4) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों, अथवा कर्मचारी रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी—

(एक) राज्य शासन मध्यप्रदेश निगम/मण्डल के स्थायी एवं अस्थायी पदधारक अभ्यर्थी, स्वशासी संस्थानों के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष होगी;

(दो) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष होगी.

(5) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पती के सवर्ण पार्टनर के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(7) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी परन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

(9) नि:शक्त अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(10) महिला अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे.

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में संविदा नियुक्तियों पर लागू होंगे.

(12) रिक्त पदों हेतु संवर्गवार आरक्षण निम्नलिखित अनुसार होगा :—

(एक) महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत;

(दो) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसार/अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों के लिये 6 प्रतिशत, दृष्टिबाधित के लिए 2 प्रतिशत, श्रवण बाधित के लिये 2 प्रतिशत तथा अस्थि बाधित के लिये 2 प्रतिशत.

6. **आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध**—यदि कोई अभ्यर्थी जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर के सहरिया जनजाति, जिला बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल तथा उमरिया के बैगा जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा में तामिया विकासखंड के भारिया जनजाति का है तथा विनिर्दिष्ट/विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं तथा अन्य पात्रता रखता है, तो संबंधित संचालक उसे इन नियमों में उल्लिखित भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना संविदा पद पर नियोजित कर सकता है. ये अभ्यर्थी राज्य के किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस उपबंध के फायदे प्राप्त करने के हकदार होंगे. यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या कुल पदों की संख्या से अधिक हो तो चयन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम से किया जाएगा.

7. **शासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति.**—शासकीय सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी भी, जो उच्च पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं, उक्त पदों हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे और उन्हें ऐसे पद हेतु निर्धारित पूर्ण वेतनमान के साथ-साथ संविदा कालावधि के दौरान संविलियन का अधिकार (अधिकतम तीन वर्ष) दिया जाएगा. ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों को उच्च पदों पर चयन के समय प्राथमिकता दी जाएगी.

8. **अन्य शर्तें.**—(1) चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 100/- रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित फार्मेट में अनुबंध निष्पादित करेगा, अनुबंध के निष्पादन में उपगत व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे.

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा.

(3) आवेदक को राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा.

(4) इन नियमों के अधीन संविदा अवधि का अवसान होने के पूर्व किसी भी पक्षकार द्वारा एक माह की सूचना देकर या उसके बदले में एक माह के संविदा पारिश्रमिक का भुगतान करके सेवा समाप्त की जा सकेगी.

(5) किसी भी संविदा कर्मचारी को उसकी पदस्थापना के वास्तविक स्थान से अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा तथा उन्हें नियुक्ति के स्थान पर ही अपना मुख्यालय रखना होगा. ये कर्मचारी संस्था के मुख्यालय पर ही निवास करेंगे तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे.

(6) संविदा अभ्यर्थी के चरित्र का सत्यापन जिला पुलिस के माध्यम से किया जाएगा.

(7) कर्मचारी सिविल सर्जन या उस प्रयोजन के लिए राज्य सराकार द्वारा गठित जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सीय समर्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा.

(8) चयनित व्यक्ति के लिए, यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर, उसके/उसकी संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करे. उक्त कालावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं / अथवा अनुबंध न किये जाने की दशा में, संविदा नियुक्ति स्वत: रद्द हो जाएगी.

(9) यदि संविदा पर नियुक्त सेवा का कोई सदस्य बिना किसी विशिष्ट कारण और सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वत: समाप्त मानी जाएगी.

(10) अभ्यर्थी/आवेदक को अपने आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(11) प्रारंभ में संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगे. उसके पश्चात् प्राचार्य/संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर संविदा सेवा की अवधि तीन वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकेगी, जिसका अर्थ है कि संविदात अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी.

9. **निरर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा:—

(एक) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है ;

(दो) यदि वह पूर्व में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और किसी स्थानीय निकाय, सहकारी सोसाइटी या केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से बर्खास्त किया गया हो ;

(तीन) यदि वह नैतिक अधमता अंतर्विलित होने वाले किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो/ठहराई गई हो ;

(चार) यदि वह महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिये दण्डित किया गया हो/की गई हो :

परन्तु यदि मामला न्यायालय में लंबित है तो नियुक्ति को न्यायालय के अंतिम निर्णय तक लंबित रखा जाएगा ;

(पांच) यदि अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और महिला अभ्यर्थी के मामले में यदि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिसकी पूर्व से ही जीवित पत्नी हो ;

(छह) यदि वह किसी आपराधिक अपराध के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो तथा दण्डित किया गया हो/दोषसिद्ध ठहराई गई हो तथा दण्डित की गई हो :

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी दोषसिद्ध ठहराया गया हो किन्तु चेतावनी के पश्चात् उसे निर्मुक्त कर दिया गया हो तथा कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को निरर्हित नहीं समझा जाएगा ;

(सात) यदि अभ्यर्थी के पास विज्ञापित लिपिकवर्गीय संवर्ग हेतु विहित न्यूनतम अर्हता नहीं है;

(आठ) यदि अभ्यर्थी, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या केन्द्रीय / राज्य सरकार के किसी संगठन या किसी शासकीय सहायता प्राप्त संगठन का कर्मचारी है और यदि वह विद्यमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है/करती है ;

(नौ) किसी अभ्यर्थी की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यर्थिता का समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसके साक्षात्कार/चयन में उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जाएगा ;

(दस) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रस्ताव में, जो 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, दो या दो से अधिक संतान का जन्म जुड़वां के रूप में होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा.

(ग्यारह) कोई भी अभ्यर्थी जो विवाह के लिये नियत न्यूनतम आयु से पहले विवाह करता है, पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

10. **चयन प्रक्रिया.**—तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी प्रवर्गों पर संविदा नियुक्ति के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :—

(एक) **विज्ञापन के लिये प्रक्रिया.**—(एक) तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों हेतु, विज्ञापन कौशल विकास संचालनालय, द्वारा जारी किया जाएगा जिसमें आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएगी और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग हेतु विज्ञापन संस्थान के प्राचार्य द्वारा जारी किया जाएगा.

(दो) अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन कर सकेगा.

(तीन) भर्ती हेतु विज्ञापन विभाग के सूचना पटल/वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा.

(चार) भर्ती के संबंध में विज्ञापन जनसंपर्क विभाग के माध्यम से राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.

(2) **चयन के मानदण्ड.**—(क) तृतीय श्रेणी—(एक) तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति के लिए चयन लिखित / कौशल परीक्षा /साक्षात्कार विभाग के माध्यम से या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी. केवल लिखित परीक्षा की दशा में कुल 100 प्रतिशत अंकों की गणना की जाएगी. किन्तु लिखित, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार की दशा में अंकों का विभाजन लिखित परीक्षा के लिये 75 प्रतिशत अंक, कौशल परीक्षा के लिये 15 प्रतिशत अंक एवं साक्षात्कार के लिये 10 प्रतिशत अंक होंगे. लिखित एवं साक्षात्कार की दशा में लिखित परीक्षा के लिये 90 प्रतिशत अंक एवं साक्षात्कार के लिये 10 प्रतिशत अंक होंगे.

(दो) लिखित परीक्षा में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :—

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (2)	विषय (3)	अधिकतम अंकों का प्रतिशत (4)
1	संसाधन व्यक्ति (संचार कौशल, अंग्रेजी दक्षता, गुणवत्ता प्रबंधन, साधन, उद्यमिता कौशल, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य)	1. सामान्य ज्ञान	25 प्रतिशत
		2. सामान्य गणित	25 प्रतिशत
		3. हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता	25 प्रतिशत
		4. कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान	25 प्रतिशत
2.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-लिपिक		
3.	छात्रावास अधीक्षक		
4.	ग्रंथपाल		
5.	चतुर्थ श्रेणी	1. सामान्य ज्ञान	50 प्रतिशत
		2. सामान्य गणित	50 प्रतिशत

समस्त विषयों के लिये प्रश्न पत्र का स्तर दसवीं कक्षा के पाठ्यक्रम अनुसार होगा.

(तीन) चयन के मानदण्ड संचालनालय द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा संचालनालय द्वारा या संचालनालय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे.

(ख) **चतुर्थ श्रेणी.**—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भरती के लिये कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर और कुल पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा. लिखित परीक्षा आठवीं स्तर के पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य ज्ञान एवं सामान्य गणित विषय की होगी. चयन, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा.

(3) **लिखित पात्रता परीक्षा के लिये प्रक्रिया.**—(1) संचालनालय या संचालनालय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण आवेदन-पत्र की प्रक्रिया तथा परीक्षा के संबंध में जानकारी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा.

(2) लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा या दोनों हेतु पद अनुसार पाठ्यक्रम जो भी विनिर्दिष्ट पदों हेतु विनिश्चित किया जाए, पद अनुसार पाठ्यक्रम संचालनालय या संचालनालय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रकाशित किया जाएगा./वेबसाइट पर डाला जाएगा.

(3) संविदा भरती हेतु पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में श्रेणीवार/प्रवर्गवार न्यूनतम प्रतिशतता निम्नानुसार होगी :—

अनुक्रमांक	पद का नाम	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ नि:शक्तजन हेतु	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संसाधन व्यक्ति (संचार कौशल, अंग्रेजी दक्षता, गुणवत्ता प्रबंधन साधन, उद्यमिता कौशल, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य).	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत
2.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-लिपिक	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत
3.	छात्रावास अधीक्षक	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत
4.	ग्रंथपाल	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत
5.	चतुर्थ श्रेणी	36 प्रतिशत	40 प्रतिशत

(4) **चयन सूची तैयार किया जाना.**—1. संचालनालय या प्राधिकृत अभिकरण पात्रता परीक्षा के लिये गुणागुण सूची/चयन सूची तैयार करेगा और उसे जारी करेगा. उपरोक्त के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की गुणागुण सूची/चयन सूची गुणागुण क्रम में तैयार की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में उद्धरित किये जाएंगे. यदि आवश्यक हो तो, प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसमें उतनी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जितनी कि संचालनालय द्वारा अपेक्षित/निर्देशित की जाए.

(5) **नियोजन की पद्धति.**— संविदा आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी को इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित किए गए फार्मेट के अनुसार अनुबंध करना होगा. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा कर्मचारी के कार्य/आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा. शासन/विभाग के आदेश पर चयनित व्यक्ति के नियोजन की अवधि में वृद्धि अथवा कमी की जायगी.

(6) **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में विनिश्चय.**—परीक्षा के लिये अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संचालनालय या संचालनालय द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को,

जिसे संचालनालय/प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र (प्रवेश पत्र) जारी नहीं किया हो, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

11. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

12. **निर्वचन.**—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा. जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

13. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों में आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

अनुसूची—1

स. क्र.	पदों का विवरण	स्वीकृत पदों की संख्या	संविदा राशि रुपये में
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संसाधन व्यक्ति (संचार कौशल, अंग्रेजी दक्षता, गुणवत्ता प्रबंधन साधन, उद्यमिता कौशल, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य)	18+5+50+107=180	7200/- प्रतिमाह
2.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-लिपिक	71	6000/- प्रतिमाह
3.	छात्रावास अधीक्षक	04	10000/- प्रतिमाह
4.	लाईब्रेरियन (ग्रंथपाल)	04	7200/- प्रतिमाह
5.	चतुर्थ श्रेणी	40	4000/- प्रतिमाह

अनुसूची—2

तृतीय श्रेणी / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हेतु शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता

अनुक्रमांक	पद का नाम	आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संसाधन व्यक्ति (संचार कौशल, अंग्रेजी दक्षता, गुणवत्ता प्रबंधन साधन, उद्यमिता कौशल, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य).	18 से 35 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी (10+2) के तहत बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण हो. 2. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर आफ विजिनिस एडमिनिस्ट्रेशन/मास्टर आफ विजिनिस एडमिनिस्ट्रेशन.
2.	कम्प्यूटर आपरेटर-सह-लिपिक	18 से 35 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी (10+2) के तहत बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण हो. 2. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद्, मध्यप्रदेश से 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. 3. मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से अभ्यर्थी ने निम्नलिखित किसी एक संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो: (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में डिप्लोमा परीक्षा.

(1)	(2)	(3)	(4)
			(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर परीक्षा में पत्रोपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए. (ग) पत्रोपाधि स्तर पर डी.ओ.इ.ए.सी.सी. के समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (घ) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए.
3.	छात्रावास अधीक्षक	18 से 35 वर्ष	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण. 2. शारीरिक शिक्षा में उपाधि/पत्रोपाधि
4.	ग्रंथपाल	18 से 35 वर्ष	1. हाईस्कूल अथवा समकक्ष अथवा 11वीं उत्तीर्ण (पुराना पाठ्यक्रम). 2. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/पॉलीटेक्निक से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में उपाधि/पत्रोपाधि.
5.	चतुर्थ श्रेणी	18 से 35 वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो.

(100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

संविदा का प्रारूप

(नियत वेतन पर नियुक्ति)

प्रथम पक्षकार (नियोजक) - संचालक अथवा उसके द्वारा समनुदेशित सक्षम प्राधिकारी जो. . . . . के स्वीकृत पद पर नियुक्ति करने हेतु चयनकर्ता होगा (जिसे इस संविदा विलेख में सुविधा की दृष्टि से प्रथम पक्षकार के नाम से संबोधित किया जाएगा).

द्वितीय पक्षकार (चयनित अभ्यर्थी) - श्री. . . . . .आत्मज/आत्मजा . . . . आयु . . . . वयस्क निवासी . . . . (जिसे इस संविदा विलेख में सुविधा की दृष्टि से द्वितीय पक्षकार के नाम से संबोधित किया जाएगा).

अन्य विवरण निम्नलिखित अनुसार है :—

1. यह कि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में स्वीकृत. . . . . पद पर नियत वेतन पर द्वितीय पक्षकार का चयन किया जा रहा है, जो नियुक्ति दिनांक. . . . . . से केवल 01 वर्ष की कालावधि के लिये वैद्य होगा. नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष के पश्चात् सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी. नियत सेवा कालावधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्षकार को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी. ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार द्वारा सेवा संबंधी किसी भी प्रकार का वाद विवाद या दावा मान्य नहीं किया जाएगा.

2. यह कि चयनित संविदा सेवा का कर्मचारी/द्वितीय पक्षकार शासकीय सेवक नहीं माना जाएगा.

3. यह कि चयनित द्वितीय पक्षकार/संविदा सेवा का कर्मचारी न तो नियमितीकरण तथा नियमित वेतनमान के हकदार होंगे और न ही न्यायालय में इसके लिए कोई दावा प्रस्तुत कर सकेंगे.

4. यह कि चयनित द्वितीय पक्षकार/संविदा सेवा कर्मचारी को महंगाई भत्ता/गृह भाड़ा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा.

5. यह कि चयनित द्वितीय पक्षकार 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा. महिला अभ्यर्थियों के मामले में 180 दिन के मातृत्व अवकाश तथा पुरुष अभ्यर्थी अपनी पत्नी की प्रसूति के लिये 15 दिन के पितृत्व अवकाश का हकदार होगा.

6. यह कि चयनित द्वितीय पक्षकार को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार शासकीय कार्य हेतु यात्रा भत्ता देय होगा. उक्त भत्ते के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों के समान किसी भी प्रकार की अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा और न ही अन्य कोई भत्ते देय होंगे, जिसकी सहमति द्वितीय पक्षकार के द्वारा इस संविदा पर अपने हस्ताक्षरों से प्रदान की जाती है.

7. यह कि चयनित द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध गंभीर शिकायत मिलने अथवा अभ्यर्थी के अवांछनीय/राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने अथवा उसकी ओर से कार्य के प्रति गंभीर अनियमितता पाए जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को होगा. अतएव ऊपर वर्णित किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध होने पर द्वितीय पक्षकार की सेवाएं बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार के पास होगा, जिस पर द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.

8. यह कि यदि संविदा सेवा के दौरान द्वितीय पक्षकार किसी व्यक्ति को कोई गंभीर क्षति कारित करता है अथवा वह स्वयं किसी गंभीर क्षति का भागी होता है अथवा अन्य कोई शारीरिक विकलांगता से ग्रसित होता है अथवा आत्महत्या कारित करता है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार अथवा उसके स्थान पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार का दावा आदि मान्य नहीं किया जाएगा. सेवा शर्तों के विरुद्ध अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी के परिवार के किसी भी सदस्य को सेवा में नियुक्ति/अनुकम्पा नियुक्ति आदि प्रदान नहीं की जाएगी जिस हेतु द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.

9. यह कि यदि द्वितीय पक्षकार उक्त एक वर्ष की संविदा सेवा की समाप्ति के पूर्व ही अपनी सेवा त्यागना चाहता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार को एक माह पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा ऐसी स्थिति में संस्था में एक माह का वेतन एकमुश्त जमा करके रसीद प्राप्त करना होगा एवं संस्था से अदेय प्रमाणपत्र लेना होगा.

10. यह कि सेवाएं संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अथवा अन्य कारणों से द्वितीय पक्षकार की सेवाएं बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, जिस पर द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.

11. यह कि नियुक्ति के संविदा पत्र में यदि कोई तथ्य रह जाता है कि प्रथम पक्षकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन के किन्ही संशोधित अथवा उपांतरित नियमों के कारण जोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में एक अनुपूरक संविदा निष्पादित की जाएगी जो द्वितीय पक्षकार को प्रतिग्राह्य होगी एवं जिस पर हस्ताक्षर करने हेतु द्वितीय पक्षकार वचन देता है.

मैंने ऊपर उल्लिखित संविदा सेवा शर्तों को ठीक से पढ़ लिया है. अतः मेरे द्वारा आज दिनांक . . . . . दिन . . . . वर्ष को पूर्ण होशोहवास में बिना किसी डर या दबाव के दो गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षरों से यह संविदा निष्पादित कर दी है, ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आए.

हस्ताक्षर (प्रथम पक्षकार) . . . .
(नियुक्तिकर्ता)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्षकार) . . . .
(चयनित अभ्यर्थी)

हस्ताक्षर साक्षी:—

1. हस्ताक्षर . . . .
   नाम . . . .
   पता . . . .

हस्ताक्षर साक्षी:—

2. हस्ताक्षर . . . .
   नाम . . . .
   पता . . . .

No. F-2-4-2012-XLII-(2).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the State Government, hereby makes the following rules relating to the recruitment of the Clerical cadre and Resource Person class III and class IV employees in Industrial Training Institute, under Department of Technical Education and Skill Development on Contract basis, namely:—

RULES

1. **Short title application and commencement.**— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Industrial Training Institute under the Department of Techinical Education and Skill Development in the Clerical cadre and Resource Person class III and class IV Employees on Contract basis Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) "Appointing Authority" means the Director, Skill Development or any other officer authorized by him.

(b) "Contract amount" means contract amount as specified in column (4) of Schedule 1;

(c) "Contract Appointment" means a person appointed on contract basis under these rules;

(d) "Department" means Madhya Pradesh Technical Education and Skill Development Department;

(e) "Director" means the Director, Skill Development, Madhya Pradesh;

(f) "Examination" means the examination conducted for the recruitment under these rule;

(g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(h) "Other Backward Classes" means the other backward classes of the citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended by from time to time;

(i) "Schedule Castes" means any caste, race or tribe or part of , or group within caste, race or tribe specified as scheduled caste with respect to the state of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribe" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as scheduled tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(k) "Scheduled" means schedules appended to these rules.

3. **Scope and Application.**—These rules shall apply to the Clerical cadre and Resource Persons class III and Class IV contract employees appointed in the Industrial Training Institute under the Department of Technical Education and Skill Development, Government of Madhya Pradesh.

4. **Classification and contract Remuneration.**—The classification of posts and amount of remuneration shall be such as may be specified in schedule-1.

5. **Conditions of Eligibility for contract Recruitment.**—After the commencement of these rules the appointments to class-III and Class-IV contract posts in Industrial Training Institute shall be made as per the provisions under these rules.

(1) Recruitment of post in the contract service shall be made by written examination/skill test/Interview.

(2) Educational Qualification and miscellaneous Qualifications for contract employees shall be as per schedule-2.

(3) The Eligibility test will be conducted by Vyavsayik pariksha Mandal (vyapam) or any other Competent Agency on requirement as per the guidelines of the Government/Department. The validity of eligibility test shall be 18 months after the declaration of its result or up to the next eligibility test, whichever occurs first the calculation of the minimum and maximum age limit fixed for the contract appointment shall be made from 1st January of the ensuing year in which the appointment has to be done. The upper age limit in respect of Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Other backward classes, Disabled and Women Candidates shall be relax-able as per the Government rules prevalent at the time of selection.

(4) The upper age limit in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government shall be relaxed up to the extent and subject to the conditions specified below;

(i) Candidates holding a temporary or permanent post in State Government, Madhya Pradesh Corporation/Board, employees of autonomous Institutes, and Home guards the upper age limit shall be 40 years and in case of candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward classes the upper age limit shall be 45 years;

(ii) Upper age limit for contingency paid Employees and Employees working under the Project Implementing Committees shall be 38 years;

(5) The upper age limit shall be relaxed up to maximum 2 years in respect of those candidates who are holding green card under the family Welfare Programme.

(6) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded, Superior Caste partner or couple under the Inter-caste marriage incentive Programme of the Scheduled caste, Scheduled Tribes and Other Backward classes Welfare Department.

(7) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of "Vikram Award" holder candidats.

(8) The upper age limit shall be relaxable for voluntary Home Guards and Non- Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(9) The upper age limit shall be relaxable up to 10 years in respect of Disable Candidates as per the orders of the General Administration Department.

(10) There shall be reserved Posts for Women Candidates in accordance the Provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(11) The provision of Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jantiyon Evam Anya Pichhade Vargeo ke Liye Aarakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) in respect of Scheduled Casts and Scheduled Tribes and Other Backward classes shall apply to the contract appointments.

(12) Category wise reservation for the vacant posts shall be as follows:—

(i) 30 percent for Women Candidates,

(ii) 6 percent for Disabled Persons as per the Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Right and Fullo Participation) Act 1995, (No. 1 of 1996) 2% for visually handicapped, 2% for hearing handicapped and 2% for orthopedic handicapped.

6. **Special provision for primitive tribes.**—If a Candidate belonging to Sahriya Tribe of District Shyopur, Morena, Datia, Gwalior, Bhind, Shivpuri, Guna, Ashok Nagar, Baiga Tribe of District Balaghat, Mandala, Dindori, Shahdol and Umariya, Bhariya Tribe of the Tamia Development Block of District Chhindwara, full fills the specified/ mentioned minimum Education Qualification and other eligibility, the concerned Director can appoint him on a contract Post without following the recruitment Procedure mentioned in these rules. These candidates shall be entiled to receive benefits of this provision in any Industrial Training Institute of the State. If the number of applications received in more than the total numbers of Posts, the selection will be done on basis of total marks secured in the minimum Qualification Examination in descending order.

7. **Appointment of Government Employees.**—Government Employees who are willing to work on a higher post are also eligible to apply for that posts and they shall get full pay scale of the Posts along with right of absorption (maximum three years) during the Contract Period. Priority will be given to such departmental candidates at the time of selection for higher Posts.

8. **Other canditions.**—(1) The Selected candidate after receiving the appointment order shall execute an agreement with the appointing authority on the Non-Judicial Stamp of Rs. 100/- in the prescribed format. The expenditure incurred or execution of the agreement shall be borne by the candidate.

(2) The candidate of scheduled Castes, scheduled Tribes and other backward classes shall have to enclose the caste certificate issued by the competent authority.

(3) The applicant shall have to append a Character Certificate issued by a Gazetted Officer.

(4) Before the expiry of the contract term, under these rules services may be terminated by either side by giving one month's notice or by paying one month's contract remuneration in lieu thereof;

(5) No contract employee shall be transferred to other place than the place of his/her actual place of posting and they must keep their Headquarter at the place of the institution of their appointment. These employees shall reside at their institutions headquarter and shall not leave the headquarter without the previous permission of the Competent Authority;

(6) The character verification of the contract candidates shall be carried out through the District Police.

(7) The employee shall produce a Medical Fitness Certificate given by a Civil Surgeon or District Medical Board Constituted by the State Government for that purpose.

(8) It shall be compulsory for the selected person to take his/her charge at the place of his/her contract appointment, from within 15 days from the issue of appointment order. In the case of not taking charge within the said period and/or not entering in to agreement, the contract appointment shall be concelled automatically.

(9) If any member of the service appointed on contract remains absent for more than one month from his/her duty without any special reason and information, then his contract appointment shall itself deemed to be ceased from the date of such absence.

(10) The candidate/applicant shall have to produce a Domicile Certificate issued by a Competent Authority along with his application.

(11) Initially, the contract appointment will be for one year. After that on the recommendation of the Principal/Institution Head, the duration of the contract service will be extended up to three years which means that the duration of contract shall not be more that three years.

9. **Disqualification.**—No person shall be employed as Class III and Class IV contract employee:—

(i) If he/She is not a citizen of India;

(ii) If he/she has been dismissed previously from service of Central Govenment, State Government, and Local body, Co-operative Society or any Public Sector Undertaking under the control of Central Government or State Government;

(iii) If he/she has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(iv) If he/she has been convicted of an offence against women:

Provided that where such case is pending in a court, the appointment shall be kept pending till the final decision of the court.

(v) If the candidate has more than one wife's living, and in case of a female candidate, if she has married a person having a wife living already;

(vi) If he/she has been convicted and punished under any criminal offence, Provided that if a person has been so convicted but has been let off only with a warning and has not been sentenced to undergo any punishment, such person shall not be deemed disqualified;

(vii) If the candidate does not posses minimum prescribed qualification for the advertised Ministerial cadre;

(viii) If the candidate is an employee of the Central Government/State Government or of any Local Authority or of Central Government/State Government Organization or of any Government Aided Origanization, and if he/she does not submit a no objection certificate obtained from present employer;

(ix) any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any other means may be held disqualification by the Appointing Authority for appearing in the examination/selection;

(x) No candidate who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery which take place on or after 26 January, 2001, in which two or more than two children are born as twice.

(xi) No candidate shall be eligible for appointment to the post who is married before the minimum age fixed for marriage.

10. **Selection Procedure.**—The following procedure will be followed for the recuitment on the contract of the class III and IV categories:—

(one) **Procedure for Advertisement.**—(i) For the vacant posts of class-III an advertisement shall be issued by Directorate of Skill Development in which the last date for submitting the application form shall be clearly mentioned and for class IV cadre, the advertisement shall be issued by the Principal of the institute.

(ii) The candidate may submit separate application for more than one post.

(iii) The Advertisement for recruitment shall be displayed on the Notice Board/website of the Department.

(iv) The advertisment in respect of recruitment shall be published in at least two state level News paper through Public Relation Department.

(2) **Selection Criterion.—(A) Class III—**(i) For Class III Employees contract appointment, selection by written/skill test/interview shall be conducted through Department or any agency authrozed by it. In case of written examination only total 100% marks will be counted. but in case of written, skill test and interview the dividation of marks will be 75% marks for written test, 15% marks for skill test and 10% marks will be for interview. Incase of written test and interview dividation will be as such 90% marks for written test and 10% marks for interview;

(ii) The division of marks in written test will be as follows :—

S. No.	Name of post	Subject	% of maximum marks
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Resource Persons (communication skill, English Proficiency, Quality Management Tools, Entrepreneurship skill, Occupational Safety & health)	1. General Knowledge	25%
		2. General Math	25%
		3. Proficiency in English and Hindi	25%
		4. Basic knowledge of Computer	25%

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Computer Operator-cum-Clerk		
3	Hostel Superintendent		
4	Librarian		
5	Class-IV	1. General Knowledge	50%
		2. General Math	50%

The standard of question papers for all the subjects will be as per the syllabus of Class X[th.]

(iii) Selection criterion shall be decided by the Directorate and will be published by the Directorate or an agency authorized by the Directorate.

(B) Class IV.—For recruitment to Class IV employee on the basis of marks obtained in Class-VIII and ten times candidates of the number of total posts will be called for the written test. Written test shall comprise of General knowledge and General Math as per the syllabus of Class VIII[th]. Selection will be made on basis of marks obtained in the written test.

(3) Procedure for written Eligibility test.—(1) For conducting an eligibility test for contract recruitment, the Dirctorate or an agnecy authorized by the Directorate shall be publish the procedure for application and information regarding the test in News Papers.

(2) Post wise syllabus for written test/skill test or both whichever is decided for specific posts shall be published/posted on website by the Directorate or an agency authorized by the Directorate.

(3) The minimum percentage class wise/category wise in each part of the question paper of eligibility test for contract recruitment shall be as given below :—

S. No. (1)	Name of Post (2)	Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ Physically Challenged (3)	Others (4)
1.	Resource Persons (communication skill, English Proficiency, Quality Management Tools, Entrepreneurship skill, Occupational Safety and health)	36%	40%
2	Computer Operator-cum-Clerk	36%	40%
3	Hostel Superintendent	36%	40%
4.	Librarian	36%	40%
5	Class-IV	36%	40%

(4) Preparation of selection List.—The Directorate or an authorized agency for eligibility test will prepare the merit list/selection list and issue it. The merit list/selection list of the selected candidates on the above basis shall be prepared in the order of merit and the names of the selected candidates will be cited in the selection list. If needed, the waiting list will also be issued which will include the number of candidates as required/Directed by the Directorate.

(5) Method of Employment.—The candidate appointed on contract basis shall have to enter in to a bond as per the format mentioned at the annexure appended to these rules. Work/Conduct and performance evaluation of each contract Employee for each Academic year shall be maintained by the Appointing Authority. Duration of Employment of the selected person shall be extended/ reduced as required on the orders of Government/Department.

(6) **Decision about the eligibility of the candidate.**—The decision of the Directorate or the Agency authorized by the Directorate as to the eligibility of a candidate for examination shall be final and no candidate to whom a certifiate of admission (Admit card) has not been issued by the Directorate/Authorized Agency shall be allowed to appear in the examination.

11. Saving.—Nothing in these rules shall affect the conditions required to the provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

12. Interpretation.—If any question arises as to the interpretation of these rules the same shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

13. **Repeal.**—All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Schedule-I

S. No.	Description of Posts	No. of Sanctioned Posts	Contract Amount in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Resource Persons (communication skill, English Proficiency, Quality Management Tools, Entrepreneurship skill, Occupational Safety & Health)	18+5+50+107=180	7200/- Per Month
2	Computer Operator-cum-Clerk	71	6000/- Per Month
3	Hostel Superintendent	04	10000/- Per Month
4	Librarian	04	7200/- Per Month
5	Class -IV	40	4000/- Per Month

Schedule-II

Educational and other Qualification for Requirement of Class-III/IV Employees

S. No.	Name of Posts	Age limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Resource Persons (communication skill, English Proficiency, Quality Management Tools, Entrepreneurship skill, Occupational Safety & Health)	18 to 35 years.	1. Higher Secondary (10+2) (12th Examination Passed) 2. Bachelor of Business Administration/ Master of Business Administration from a recognized University.
2	Computer Operator-cum-Clerk	18 to 35 years.	1. Higher Secondary (10+2) (12th Examination Passed) 2. Hindi Typing Examination passed with 25 w.p.m. speed from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Council.

(1)	(2)	(3)	(4)
			3. The Candidate must have passed computer examination from any one of the following Institutes. (a) must have psssed Diploma in computer examination from the University recognized by U. G. C. (b) must have psssed Diploma in Computer exam from the open University recognized by U. G. C. (c) must have passed any exam equivalent to DOEACC at Diploma Level. (d) must have passed modern office management curriculum from any Govt. Polytechnic College.
3	Hostel Superintendent	18 to 35 years.	1. Bachelor Degree passed from any recognized University. 2. Degree/Diploma in Physical Education.
4	Librarian	18 to 35 years.	1. High School or equivalent or 11th Passed (Old Syllabus) 2. Passed National Council for Vocational Training/State Council for Vocational Training certificate or National Apprenticeship certificate or a Degree/ Diploma in Library and information Science from a recognized University/ Board/Polytechnic.
5	Class -IV	18 to 35 Years	Passed class 8th from a State Government recognized school.

(On the Stamp paper of Rs. 100/-)

//Draft of Contract//

(For Appointment on Fixed Salary)

First Party (Employer) — Director or any Competent Authority assigned by him who shall be the selector for appointment on the sanctioned post of . . . . (Who for convenience Shall be addressed as first party in this deed contract).

Second Party (Selected Candidate) — Shri . . . . S/o, D/o . . . . Aged-Major, R/o . . . . (Who for convienience shall be addressed as Second Party in this Deed of Contract).

The other particulars are as follows :—

1. That the selection of the second party is being made on the fixed salary on the post of . . . . sanctioned in Industrial Training Institute established under the Department of Technical Education and Skill Development which will be valid for the period of only one year from the Date of appointment Dt. . . . . The service shall itself deemed to be ceased after the expiry one year from the date of appointment on the completion of the fixed service period, the second party shall not have the eligibility of regularization. In such a situation no case of dispute or claim related with service, by the second party shall be accepted/ entertained.

2. That, the selected contract service employ/second party shall not be treated as government servant.

3. That, the selected Second Party/Contract service Employee shall not be entitled to regularization or regular pay-scale, nor can he/she claim this in the court of law

4. That, the selected second party/contract service employee is not entitled to dearness allowance/House Rent Allowance and any other allowance.

5. That, the selected second party shall not be entitled to any kind of leave beside casual leave of 13 days and 3 days optional leave.

   In case of women candidate she shall be entitled to 180 days maternity leave and in case of male candidate he shall be entitled 15 days paternity leave for his wife's delivery.

6. That, the traveling allowance as per the Government Rules shall be payable to the selected Second Party for the Government work. Besides the said allowance, no benefit of any kind, similar to that of the employees of the Government of Madhya Pradesh, shall be provided, nor any other allowances shall be payable, consent of which is hereby given by the Second Party through his/her signature on this contract.

7. That, in case of grievous complaint against the selected Second Party or if the candidate is found indulging in unwanted/political activities or grave irregularity at work, the First Party shall have the right to cease the service at any time. Hence, in case any of the aforesaid allegations are proved, the First Party shall have the right to cease the service of the Second Party at any time without any notice regarding which the Second Party shall have no objection.

8. That, if during the contract service the Second Party causes grievous hurt to any body or if himself suffers any injury or suffers any physical disability or commits suicide than in such a situation no claim of any kind by the Second Party or from his/her family member on his/her behalf, shall be aceptable. In any other condition contrary to the service conditions, no appointment to the service/appointment on compassionate grounds etc. shall be provided to any family member of the candidate for which the Second Party shall have no objction.

9. That, if the Second Party wants to leave his/her service before the expirty of said one year service contract, in such a situation the Second Party shall have to give prior notice of one month to the appointing authority in a condition otherwise he/she shall have to obtain receipt by depositing lump sum salary of one month and to obtain No-dues Certificate from the institution.

10. That, the services of the Second Party may be ceased at any time if not found satisfactory or for other reasons without notice, on which the Second Party shall have no objection.

11. That, if any fact remains left in the contract letter of appointment or addes afterwards by the first Party due to any amended or modified rules of Government of Madhya Pradesh then in such a situation a supplementary contract shall be executed which shall be acceptable to the Second Party and the Second Party promises to sign the same.

I have carefully gone through the service conditions of above mentioned contract. Hence in witness whereof I have executed this contract on this . . . . .day of . . . . without any fear or pressure in the presence of two witnesses so that it can be referred to as and when required.

Signature (First Party) . . . .

(Employer)

Signature (Second Party) . . . .

(Selected Candidate)

Signature witnesses :

1. Signature . . . .
   Name . . . .
   Address . . . .

2. Signature . . . .
   Name . . . .
   Address . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.